

सं. 16/05/2018-हिन्दी

प्रमुख अभियन्ता

भारत सरकार

आवती सं. H-5999

महानिदेशालय

दिनांक 10-08-18

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग

प्रमुख अभियन्ता

निर्माण भवन, नई दिल्ली

निदेशक (कार्य एवं स्था.) K.A.A.

दिनांक : 09.08.2018

निदेशक (अनुसंधान)

उप सतर्कता अधिकारी 10.8.18

उपनिदेशक (स्वयं/द्वय/तृय, जन सू. अधि.)

कार्यालय जापन

विषय: "हिन्दी प्रयोग प्रोत्साहन मास 2018" का आयोजन ।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि गत वर्ष की भांति के. लो. नि. वि. के सभी सम्बद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों में 01 सितम्बर, 2018 से 30 सितम्बर, 2018 के दौरान "हिन्दी प्रयोग प्रोत्साहन मास 2018" मनाए जाने का निर्णय लिया गया है। सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालय इस अवधि के दौरान हिन्दी का अधिकाधिक प्रयोग बढ़ाने और विभिन्न गतिविधियाँ यथा हिन्दी कार्यशाला, काव्य संगोष्ठी आदि का आयोजन करने के साथ-साथ निबंध, टिप्पण प्रारूपण, टंकण आदि हिन्दी प्रतियोगिताओं का आयोजन करें। संसदीय राजभाषा समिति के निदेशानुसार प्रथम पुरस्कार 4100/-रूपये, द्वितीय पुरस्कार 3100/-रूपये एवं तृतीय पुरस्कार 2100/-रूपये और सांत्वना पुरस्कार (दो) 1100/-रूपये के दिए जाने अपेक्षित हैं।

राजभाषा हिन्दी के लिए मानसिक वातावरण तैयार करने हेतु 01 सितम्बर, 2018 से 30 सितम्बर, 2018 तक 'हिन्दी प्रयोग प्रोत्साहन मास' के दौरान हिन्दी व्यवहार प्रतियोगिता का भी आयोजन करवाएं। हिन्दी व्यवहार प्रतियोगिता में ऋणों की स्वीकृति, ठेकेदार के बिल, ड्राइंग, लेखा, टिप्पण एवं आलेखन आदि कार्य शामिल किए जा सकते हैं।

संबंधित कार्यालय अपने कार्यालय में किए जा रहे कार्य की प्रकृति को देखते हुए इन विषयों में परिवर्तन कर हिन्दी व्यवहार प्रतियोगिता की संरचना स्वयं तैयार कर सकते हैं और अपने अधीनस्थ कार्यालयों के आकार को देखते हुए यह निर्णय ले सकते हैं कि यह प्रतियोगिताएं सामूहिक आधार पर आयोजित की जाएं या अलग-अलग की जाएं। इस प्रतियोगिता में 11 पुरस्कार दिए जा सकते हैं। इसमें प्रथम पुरस्कार-4100/-रूपये, द्वितीय पुरस्कार(दो)-3100/-रूपये, तृतीय पुरस्कार(तीन)-2100/-रूपये तथा सांत्वना पुरस्कार(पाँच)-1100/-रूपये होंगे। (एक कार्मिक

को दो से अधिक पुरस्कार नहीं दिए जाएंगे। यदि कोई प्रतिभागी दो प्रथम पुरस्कारों के लिए विजयी होता है तो उसे एक प्रथम और एक द्वितीय पुरस्कार दिया जाएगा।)

इन प्रतियोगिताओं के आयोजन पर आनेवाला व्यय संबंधित कार्यालय स्वयं वहन करेंगे। इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(हरीश कुमार)


उप महानिदेशक (निर्माण)

सेवा में, (केलोनोवि की वेबसाइट द्वारा)

दिल्ली तथा दिल्ली से बाहर स्थित सभी विशेष महानिदेशक/सभी अपर महानिदेशक/सभी उप महानिदेशक/सभी मुख्य अभियंता/मुख्य वास्तुक एवं मुख्य परियोजना प्रबंधक को इस अनुरोध के साथ कि वे अपने तथा अपने अधीनस्थ कार्यालयों में भी "हिन्दी प्रयोग प्रोत्साहन मास" मनाने के संबंध में समुचित निर्देश जारी करें।

प्रतिलिपि:-

1. निदेशक (रा.भा.), शहरी विकास मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली।


(हरीश कुमार)

उप महानिदेशक (निर्माण)

कार्यालय प्रमुख अभियंता, लो० नि० वि०

क्र० ई-एन-सी/43(1)/2017/5240

दिनांक 16/8/18

प्रतिलिपि - धूपन एवं उपरोक्त कार्यालयी हेतु उपरि:-

1. लो० नि० वि० के मन्त्रालय सभी मन्त्रालय कार्यालय/सी० पी० ए० कार्यालय ।



सहायक प्रशासनिक अधिकारी
कार्यालय प्रमुख अभियंता
लो० नि० वि०, दिल्ली सरकार
12 वॉ-तुल, पुलिस मुख्यालय,
15 हाई दिल्ली-110002